MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The Government of Kerala has prepared a scheme to reorganise the Fisheries Sector by federating Fishermen Welfare Societies in the Fishing Villages into District Fisheries Development Co-operative Societies. District level Co-operative Societies are to be federated into a State level Apex Federation. The Scheme has been posed by the State Government to the National Dairy Development Board for assistance. The National Dairy Development Board has not sent its comments to the Central Government on the proposed Scheme so far.

(b) Question does not arise.

पिपरासी से पिपराघाट तक पक्की महमेज (स्पर) बनाना

3565. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्दक नदी के दहाने पर बिरमाड़ से छितौनी तक गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की सलाह के अनुसार पक्की महमेज (स्पर) बनाई है ;

(ख) क्या बिहार सरकार के उक्त नदी के दाहिने तट पर 26 वर्ष पूर्व पिपरासी से पिपराघाट तक कच्चे बांध का निर्माण किया था जो लगातार टूट रहा है ;

(ग) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने कटाव को रोकने हेतु बिहार में पिपरासी से पिपराघाट तक पक्की महमेज बनाने की सलाह दी थी अथवा बिहार सरकार ने उक्त कच्चे बांध के स्थान पर पक्का तटबंध बनाने की योजना अपने आप तैयार की थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब से कार्यान्वित की जा रही है और अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) छितौनीघाट से भुईधरया तक एक 43 किलोमीटर लम्बा मिट्टी का तटबन्ध 1963 में निर्मित किया गया था। तथापि, तभी से गण्डक नदी का जल इस तटबन्ध से टकरा रहा है। विभिन्न समितियों एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिशों के अनुसार तटबन्ध की सुरक्षा के लिए समय-समय पर कटाव-रोधी उपाय हाथ में लिए गए हैं। विभिन्न भागों में शुरू किए गए कटाव-रोधी और बाढ़ नियन्त्रण उपायों से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के क्षेत्रों को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने में विभिन्न मात्राओं में सफलता मिली है। 1980 की बाढ़ों के दौरान हुई क्षति के पश्चात् भारत सरकार ने 1981 में उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिए जाने वाले उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। बहरहाल, विभिन्न कठिनाइयों के कारण सिफारिश किए गए विभिन्न निर्माण-कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा सीमित ढंग से हाथ में लिया जा सका था। अन्तराल को बन्द करने तथा कटाव-रोधी उपायों के लिए 7.37 करोड़ रुपये की लागत पर रिटायर्ड तट-बंधों की व्यवस्था करने के वास्ते बिहार सरकार ने जनवरी, 1984 में अन्य स्कीम तैयार की है जिस पर अभी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाना है।

Regularisation of Colonies in Delhi

3566. SHRI NITYANANDA MISRA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the number of colonies in the Union Territory of Delhi regularised in 1983-84 ;

(b) whether Government propose to regularise some more colonies in Delhi during 1984-85 ;

(c) if so, the name of those colonies ; and

(d) the steps taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING